

मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम एवं विरार

मुस्लिम स्त्री (विवाह- विच्छेद पर अधिकार संरक्षण)नियम 1986¹

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
 2. परिभाषाएं
 3. समन की तामील
 4. साक्ष्य
 5. कार्यवाहियों को मुलतवी या स्थगित रने की शक्ति
 6. खर्चे
 7. धारा 5 के अधीर शपथपत्र
 8. धारा 5 के अधीन घोषणा
- प्ररूप 'क' शपथपत्र का प्ररूप (नियम 7 देखिये)
 - प्ररूप 'ख' घोषणा का प्ररूप (नियम 8 देखिये)

मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986

(1986 का अधिनियम संख्या 25)

[19 मई, 1986]

मुस्लिम स्त्री; जिन्हें पतियों ने तलाक दे दिया है अथवा जिन्होंने तलाक ले लिया है; के अधिकारों के संरक्षण तथा तत्सम्बन्धित व तदनिमित्त मामलों के उपबन्ध के लिए अधिनियम;

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नांकित रूप में यह अधिनियमित हो-

1 संक्षिप्त नाम एवं विचार- (1) इस अधिनियम को **मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986** कहा जायेगा।

(1) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के इसवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

मुस्लिम स्त्री (विवाह- विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) नियम 1986¹

[19

मई, 1986]

केन्द्रीय सरकार, मुस्लिम स्त्री (विवाह- विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 का 25) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) नियम, 1986 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 25) अभिप्रेत है;

(ख) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत हैं; और

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप का अभिप्रेत हैं।

3. समन की तामील- (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप से और दो प्रतियों में मजिस्ट्रेट द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह, समय-समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी।

(2) ऐसे प्रत्येक समय के साथ आवेदन की एक सत्य प्रतिलिपि होगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन में आवेदन की पहली सुनवाई की तारीख विनिर्दिष्ट होगी जो उस तारीख से सात दिन के पश्चात् की तारीख नहीं होगी जिस तारीख को समन जारी किया गया है।

(4) प्रत्येक समन की तामील किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(5) यदि साध्य हो तो समन, प्रत्यर्थी पर, समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके व्यक्तिक रूप से की जाएगी।

(6) प्रत्येक प्रत्यर्थी, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामिल करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

(7) जहां प्रत्यर्थी सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुम्ब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़र की जा सकती है और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास समन ऐसे छोड़ा जाता है उस दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

(8) यदि उप-नियम (5) या उप-नियम (7) में उपबंधित रूप से तामील सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न की जा सके तो, तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें प्रत्यर्थी मामूली तौर पर निवास करता है, किसी महज दृश्य भाग में लगाएगा; और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, या तो वह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक् तामील हो गई है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे।

(9) जब न्यायालय यह चाहता है कि, उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में, उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर उसकी तामील की जानी है या प्रत्यर्थी निवास करता है।

(10) जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है, तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है; मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तात्पर्यित यह शपथपत्र कि ऐसे समन की तामील की गई है और समन की दूसरी प्रति, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था, या जिसके पास वह छोड़ा गया था उप-नियम (6) का उप-नियम (7) पृष्ठांकित होगा तात्पर्यित है, साक्ष्य में ग्राह्य होगा, और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे।

(11) उप-नियम (10) में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है।

4. साक्ष्य- अधिनियम के अधीन कार्यवाही में सब साक्ष्य ऐसे प्रत्यर्थी की उपस्थिति में लिया जाएगा जिसके विरुद्ध उपबंध करने और भरण-पोषण, मेहर या डावर का संदाय करने या सम्पत्ति का परिदान करने का आदेश देने की प्रस्थापना है या जब उसकी व्यक्तिगत हाजरी से अभिमुक्ति दे दी गई है, तब उसके प्लीडर की उपस्थिति लिया जाएगा और संहिता के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिए विनिर्दिष्ट रीति से अभिलिखित किया जाएगा :

परन्तु यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रत्यर्थी तामील से जानबूझकर बच रहा है या न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर बच रहा है या न्यायालय में हाजिर होने में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट उस मामले को एकपक्षीय रूप में सुनने और अवधारण

करने के लिए अग्रसर हो सकता है, तथा ऐसे दिया गया कोई आदेश उनकी तारीख से सात दिन के अन्दर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन, जिनके अन्तर्गत विरोधी पक्षकार को खर्च के संदाय के बारे में निबंधन भी है. जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकता है।

5. कार्यवाहियों को मुलतवी या स्थगित रने की शक्ति- अधिनियम के अधीन प्रत्येक आवेदन में कार्यवाही यथासंभव शीघ्रता से की जाएगी और विशिष्टतः जब साक्षियों की परीक्षा एक बार आरम्भ हो जाती है तो वह सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय अगले दिन से परे के लिए उसे स्थगित करना आवश्यक न समझे।

6. खर्च- अधिनियम के अधीन आवेदनों की बाबत कार्यवाही करने में न्यायालय को खर्च की बाबत ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जैसा वह उचित समझे।

7. धारा 5 के अधीर शपथपत्र- अधिनियम की धारा 5 के अधीन फाइल किया गया शपथपत्र प्ररूप "क" में होगा।

8. धारा 5 के अधीन घोषणा- धारा 5 के अधीन लिखित रूप में फाइल की गई घोषणा प्ररूप "ख" में होगी।

प्ररूप 'क'

शपथपत्र का प्ररूप

(नियम 7 देखिये)

मैं/हम सुपुत्र/पत्नी आयु वर्ष, निवासी और
सुपुत्र/पत्नी आयु वर्ष, निवासी शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ/करते हैं : -

1. मैंने/हमने मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के उपबंधों और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से धारा 128 तक के उपबंधों को अच्छी तरह से समझ लिया है।

2. मैं/हम मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों की तुलना में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से धारा 128 तक के उपबन्धों से शासित होना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं।

3. ऊपर शपथ पत्र में जो कुछ कहा गया है वह सत्य है।

अभिसाक्षी

आज तारीख 19 को हस्ताक्षरित और सत्यापित।

अभिसाक्षी

प्ररूप 'ख'
घोषणा का प्ररूप
(नियम 8 देखिये)

मैं/हम सुपुत्र/पत्नी आयु वर्ष, निवासी और
सुपुत्र/पत्नी आयु वर्ष, निवासी शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन
करता/करती हूँ/करते हैं : -

1. मैंने/हमने मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के उपबंधों और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से धारा 128 तक के उपबंधों को अच्छी तरह से समझ लिया है।

2. मैं/हम मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों की तुलना में, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से धारा 128 तक के उपबन्धों से शासित होना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं।

3. ऊपर घोषणा में जो कुछ कहा गया है वह सत्य है।

अभिसाक्षी

आज तारीख 19 को हस्ताक्षरित और सत्यापित।

अभिसाक्षी